

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता  
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,  
देहरादून



पत्रांक:-4053/प्र0अ0/सिं0वि0/का0-1/स्थानान्तरण,

दिनांक: 18 दिसम्बर, 2019

-:कार्यालय-ज्ञाप:-

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 4(3) एवं 5 के अन्तर्गत सुगम/दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हांकन, दिनांक 31.03.2018 को निर्धारित करते हुये वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया था, के क्रमांक 01 एवं 09 में आंशिक संशोधन करते हुये सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हांकन एतद्वारा निम्नानुसार किया जाता है:-

क्रमांक	जनपद	सुगम	दुर्गम
1	2	3	4
1	देहरादून	समस्त क्षेत्र (विकास खंड चकराता एवं विकास खण्ड कालसी के अन्तर्गत कोटी के पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर)	विकास खंड चकराता एवं विकासखण्ड कालसी के अन्तर्गत कोटी का पर्वतीय क्षेत्र
9	नैनीताल	नगर पालिका, भीमताल नगर पालिका कालादूंगी विकास खंड, हल्द्वानी विकास खंड, रामनगर	समस्त क्षेत्र (नगर पालिका भीमताल नगर पालिका कालादूंगी विकास खंड, हल्द्वानी विकास खंड, रामनगर को छोड़कर)

दिनांक 31.03.2018 को निर्गत सूची में अन्य क्षेत्रों का सुगम/दुर्गम का निर्धारित चिन्हांकन पूर्व की भांति यथावत रहेगा।

मुकेश मोहन  
प्रमुख अभियन्ता

पत्रांक:-4053/प्र0अ0/सिं0वि0/स्थानान्तरण/तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/स्तर-11) . सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. अधिशासी अभियन्ता, परियोजना खण्ड को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त चिन्हांकन की प्रति सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड की वेबसाइट में प्रदर्शन करने की समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

श्री राजेश चतार USAO

AE II

D/naithani sir/karayaly gyap

सजीव जैन  
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)  
सूक्ते प्रमुख अभियन्ता  
16/12/19

P. T. O

16/12